प्रारूप-9 नियम 8(2) देखिये

dealf 01054/2021-2022

दिनक 18/09/202



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र (अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

4 11-11-69 HATTILIA/KOS/08450/2021-2022 गान बली संख्या:AL-30493 ित्र क:2011-2012

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि पठ रमाकान एकुकेशनत एण्ड वेतकेयर स्वेसाइटी, प्राम व पोस्ट-इम्सीर्नाव, कोशाम्बी, 212213 को दिये गये रजिस्नीकरण प्रमाण-पन्न संख्या- 525/2011-2012 दिनाक-16/07/2011 को दिनांक-16/07/2021 से पांच वर्ष की अतिथ के लिए गर्वीनीवृत्त किया गया है 1150 रूपये की नवीरीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।



Digitally Signed By (Sanjay Kumar Singh) AC43DB175E59C493BAF1E4D3DAA45BDBF18B


Date: 18/00/2021 3:74:58 PM, Location: Prayagray.

सोसाइटो के रिजेस्ट्रार, उत्तर प्रदेश।

जारी करने का दिनाक 18/09/2021

一种中国 Manager S.B.D. Convent





ःः स्मृति पत्र ःः

1. संस्था का नाम

पं0 रनाकान्त एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी

2. संस्था का पता

ग्रान व पोस्ट इमलीगांव, जिला कौशाम्बी।

3. संस्था का कार्यदोत्र

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. संस्था के उद्देश्य

 समाज के कमजोर वर्ग तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडे, अल्प संख्यकों, विकलांग, महिलाओं, विधवा, परित्यकता, बाल, वृद्ध के कल्याण के लिए कार्यक्रम संचालित करना।

अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति व गरीब असहाय महिला के उत्थान हेतु तकनीकी शिक्षा हेतु दूँदिए खिटिए खिलाना, प्राइमरी से लेकर इण्टर कालेज, इण्टर गर्ल्स कालेज, ढिग्री कालेज व गर्ल्स ढिग्री कालेज खोलना तथा नि:गुरुक आवासीय विद्यालय खोलना श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास तथा छात्र व छात्रा के लिए छात्रावास खोलना तथा आई० सी० एस० ई० तथा सी०बी०एस०सी० बोर्ड द्वारा मान्यता लेकर विद्यालय खोलना तथा मेद्यावी छात्रों को नि:गुरुक शिक्षा एवं पुस्तकीय सहस्थता तथा शैक्षिक परिश्रमण दिलाकर स्वावलम्बी बनाना। सभी प्रकार की शिक्षण संस्थानों का नि:शुरुक संवालन करना।

आधुनिक शिक्षा सम्बन्धित रोजगार कार्यकम आज के आधुनिकतम विषय कम्यूटर और साप्टवेयर टेकनोलाजी, खेल कृद, व्यक्तित्व विकास, शिल्पकारिता, कम्यूनिकेशन आदि विषयों के शिक्षण व

में जिल्ला प्रशिक्षाण एवं शोध कार्य करने हेतु विद्यालय की स्थापना व संघालन।

विज्ञानिक शिक्षा सम्बन्धित रोजगार कार्यक्रम आज के आधुनिकतम विषय अंतरिक विज्ञान क्रियेव्यूट्र और साप्टवेयर तथा हार्रवेयर टेकनोलाजी, होल कृद, व्यक्तित्व विकास, कृषि के नये होते क्रियेक्स आदि विषयों की शिक्षा प्रशिक्षण एवं शोध कार्य करने हेतु विद्यालय/ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित करना व संचालित करना एवं जन साधारण में इसके प्रति जागरुकता पैदा करना। इसकेट्रानिक, कम्यूटर, साफ्टवेयर आदि के विक्षण संस्थान एवं उसका संचालन नियुक्त करना। उपराक्त क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न योजनाओं को बनाना एवं

जुलार्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सम्बन्धी कार्यक्रमों को सम्पादित करना, उनके लिए, मंस्वार कल्याण परामर्श शिविर का आयोजन कर टीकाकरण, स्वास्थ्य, जांच तथा उपचार, परिवार कल्याण केन्द्र इत्यादि का प्रचार व प्रसार करना एवं जन स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जिनमें खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित कार्यक्रमों को संचालित करना

तथा अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना तथा संस्था के विकास हेतु व्यय करना।

निःशुत्क स्वास्थ्य एवं सफाई की सुविधाएं जन साधारण को उपलब्ध कराना। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना व निःशुत्क संधालन करना। निःशुत्क परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, टीकाकरण, स्वास्थ्य खा आदि कार्यक्रमों का संघालन करना तथा जन साधारण में जानक्रवता फैलाना, गम्भीर बीमास्थिं जैसे एड्स, कैंसर, चेचक, पोलियों, निर्जलन, मलेरिया, चेचक, प्लेन आदि उन्मूलन के उपायों को राज्य, केन्द्र को सुआाना एवं मान्यता प्राप्त चिकित्सकों की सहायता करना। इनसे सम्बन्धित स्वास्थ्य दिमम की विभिन्न परियोजनाओं का संचालन करना। स्वतदान, नेन्नदान, टीकाकरण तथा नसबंदी शिविसे का निःशुत्क आयोजन प्रशिक्षित ढाक्टरों की देखरेख में करना।

महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निराम्नित महिला कल्याम केन्द्रों, नारी निकंतनों, शिल्प कला केन्द्रों, सिलाई, कढाई, कताई, बुनाई, हैयर एण्ड स्किन केयर, फैंशन डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, कमप्यूटर व टंकण प्रशिक्षण नृत्य एवं गायन आदि के शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को छोलना तथा नि.षुरुक संवालित करना।

 ग्राम समाज ,नियमों, सरकारी विभागों, उठ प्रठ खादी एवं ग्रामोछंत्य तथा अखिल मारतीय खादी एवं ग्रामोछोग कमीशन से गूमि भवन, दान ,चंदा, ऋण व अनुदान प्राप्त करना और उसे


संस्थान के उददेश्यों की पूर्ति के लिवे खर्व करना।


 महिला-पुरुष समानता, महिला सशक्तीकरण, महिला शोषण सन्मूलन, दहेज निवारण तथा आत्म निर्मर बनाने हेतु कार्यक्रमों का आशोजन एवं संचालन, बाल व्यायामशाला, बाल कीशल

- विश्वास्त्र क्रिया है की क्षेत्र क्रिया है की क्षेत्र क्षेत

र्कानम्बनार् क्रिय

Manager S.B.D. Convent





कार्यशाला, बाल स्वारम्थ पोषण, सवीप्रया पर रोक लगाने का प्रयास करना, शि कार्यशालाओं का आयोजन एवं नि:मुक्क संचालन आदि!

10. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रमों हेतु होरिट्रेबिल अस्पताल, म शिविर आयोजन कर टीकाकरण, स्वास्थ्य, जांच तथा उपचार करने कार्यावास करना

बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा डेतु डिग्री कालेज आदि की स्थापना व निःशुल्क संचात

12 आयुनिक प्रौद्योगिकी विद्यान के मार्फत विभिन्न समस्याओं का अभावान दृढ़ना तथा इस अध्ययन अध्यापन एवं शोध के लिए उच्च स्तरीय शिक्षण आरक्षण संस्थान खोलना ।

 भारत संस्कार द्वारा संचालित विमिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना वैकल्पि ऊर्जा सोता, पेट्रोलियम बचत, सड़क, पंचायती राज, रेलवे बोर्ड/रेल मंत्राालय, सामाजि कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, मानव संसाध विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामी विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, रिक्का मंत्रालय, कपार्ट इत्या केन्ट / राज्य के मंत्रालयों तथा उनसे सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करन राज्य/केन्द्र सरकार तथा उनके विभागों/अनुमागों द्वारा चलावीं जा रही योजनाओं को स लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सेतु का कार्य करना इसके लिए केन्द्र/राज्य से दान-अनुदा तथा ऋण प्राप्त करना।

वृद्ध आश्रम, विकलांग आश्रम, विचया आश्रम आदि की स्थापना कर समाज के उपेक्षित प्राणि

के जीवनयापन हेतु कार्य करना।

इतिहा अल्पसंख्यक, आदिवासी, निर्वल, निर्वन, पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु कार्य करना। विकेश तथा मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना समाज के निराश्रित कृद्रों, महिलाओं एवं बच्च विद्युष्यता निर्वल एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित लोगों के लिए 'डे केयर सेण्टर', कल्याण केन्द्र मनीर्देशन केन्द्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मूले मटके शिविशें, मेला, दंगल आदि का आयोजन संबंदिनव व प्रचार प्रसार करना।

हॉर्वी में पथुंचन प्रसार एवं स्वास्थ्य उन्नत नष्त हेतु तपाय कराना।

गांवों में विकलांग बच्चों एवं व्यक्तियों को मूलमूत सुविधावें उपलब्ध कराना जिससे वे सुगमत से जीवन यापन कर सकें।

ग्रामीण सामाजिक कुरीतियों तथा बाल विवाह, विववा (विवाह निशेध) डाइन प्रथा, पर्दाप्रथा जातिप्रथा, आदि को दूर करने हेतु आवष्यक उपाये करना।

पेयजल समस्या के निदान हेतु आवष्यक कदम उठाना।

सेल्फ हेल्प ग्रुप (स्य-सहायता समूह) मतित करके अल्प बचत योजना को बढ़ावा देना तथा सामृहिक / व्यक्तिगत ग्रामोद्योग तथा इनकम जनरेटिंग कार्यक्रम के लिए प्रेरित करना। इसके लिए राष्ट्रीय महिला कोष, नाबार्ड तथा सिंहवी इत्यादि से ऋण/अनुदान प्राप्त करना।

संस्था के उददेश्यों की पूर्ति हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार अन्य अनुदान प्रदत्त भारतीय व संस्थाओं द्वारा संचातित विघायक निवि सांसद निधि, कपार्ट मानव विकास मंत्रालय, युनिसेफ, डवाकरा, सिफसा सैफ इण्डिया, यूनिसेफ नवार्ड, हेल्पेड इष्डिया, राजीव फाउन्डेशन नवराड आक्सफोम इष्डिया केयर, अल्पसंख्यक पिछडावर्ग कल्याण निवेशालय की योजनाओं को संचालित प्रबन्धन एवं अनुष्काण हेतु समस्त व्यवस्थाये सुनिश्चित करने एवं इस हेतु अनुदान दान चन्दा अन्य सहायता प्राप्त करना तथा प्राप्त आय को उद्देश्यो की पूर्ति में व्यय करना।

अन्य वे सभी सोसाइटीज एक्ट की घारा 20 के अन्तर्गत मान्य हों।

सहय प्रशिक्षित

- अनीय भिना Manager S.B.D. Convent

स्टार्क्स र विस्ट्राप करने सोसाइटी र हर । विट्ख प्राप्त स्वाठ केटा, साधार

Manager S.B.D. Convent

भे पा भार।

 प्रबन्धकारिणी के सदस्यों के नाम, पिता/पित का नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुंसार कार्यभार सीपा गया।

ह स	नाग/पिता/पति का नाम	पता -	पद	'व्यवसाय
-	श्री राजेश्वर मिश्रा	277ए विसक नगर, अल्लापुर इलाहाबाद।	38945	क्शि
	पुत्र श्री स्माकान्त मिश्र श्री बन्द्र शेलर त्रिपाठी	525ए/अप् समयागदी, राजापुर	उपाध्यक्ष	अधिदयता
	पुत्र श्री मुनेश्वर प्रसाद	इलाहाबाद।		
9.	श्री संदीप मिश्रा पुर श्री कर नासयण मिश्र	खिजिसपुर, कैलई, म्हानी 137 से 397 तक, कोशाम्बी।	प्रदन्धक / मंत्री	रामाजसेवा
4.	श्री गरीश त्रिपाठी	बेती कुण्डर, प्रताधगड ।	कोषध्यक्ष	समाजसेदा
5.	पुत्र थी राम क्ष्म त्रिपाठी ओ शिव कान्त शिवकी पुत्र श्री अवव्य नारायुर्ण	वा अध्य कस्तूरीपुर कस्तूरी, कोशान्यी।	अस्टीटर	समाजसेवा
6.	श्री राज नरायक पुत्र श्री केंद्रार अर्थ	देवसः कीशान्बी।	सदस्य	समाजसेवा
7.	श्री मेच्या लालक पुत्र श्री शनका (स	All admirals	सदस्य	, कृशि
8.	श्रीमती विमला वैकी जनर व	Annual Comments	सदस्य	समाजरोव
9.	पति श्री राम आसरे श्री भनन्त्रय चुमार दियेदी	वार्ड नं० १, शंकरघाट, इलाहाबाद।	त्तदस्य	समाजसेव

6. हम निम्न हस्तक्षरकर्ती संस्था को उपशेक्त स्मित पत्र के अनुसार सोसायटीज रिक्कि एक्ट 21 सन 1860 के अर्न्तगत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

15/07/2011

सत्य प्रतिनिधि

सहायकः जिस्हार कृत्यं सोशाइटी र तथा र्वजद्श

9 metale

Manager S.B.D. Convent

> प्रक अधिकारी प्राव खांव केन्द्र, वाधार क्षेत्राम्बी

- शिवाकान - शिवाकान प्राज्ञमात्राप - मैधा लाल

- Flering A.

Manager S.B.D. Convent

ः : नियमावली : :

1. संस्था का नाम

फं) रमाकान्त एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी

2 संस्था का पता

ग्राम व पोस्ट इमलीगांव, जिला कौशाम्बी।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. संस्था के उददेश्य

स्मृति पत्र के अनुसार

संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :-

(अ) आजीवन सदस्य :

संस्था को 5001/रू० नगद या इससे अधिक मृत्य की अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्रदान करने वालें संस्था के आजीवन सदस्य होंगे ।

(व) सामान्य सदस्य :

संस्था को प्रतिवर्ष अप्रैल नाह में 101/-स्व वार्षिक सदस्यता शुक्क प्रदान करने वालो को संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

सदस्यता की समाप्ति :

मृत्यु होने पर, पागल होने पर, विवालिया होने पर ।

2 किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।

लगातार तीन बैठकों में अकारण अनुपरिधति रहने पर

त्याग पत्र देने पर तथा स्वीकार होने पर।

अविश्वास प्रस्ताव पारित होने, पर।

सदस्यता शुक्क न अदा करने पर।

संस्था के दो अंग होगें. (अ) साधारण सभा

(व) प्रबन्धकारिणी समिति

7. संस्था के अंग :

(अ) गतन :

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण समा का मठन किया जायेगा।

साधारण सभा की सामान्य बैठके वर्ष में एक व विशेष बैठको को आवश्यकता अनुसार कभी भी बुलायी जा सकती है।

(सं) सूचना अवधि :

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व में सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति :

साधारण सना की सभी प्रकार की बैठकों का कोरम 2/3 होगा स्थगित बैठकों में कोरम प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन एजेन्डा के विषय पूर्ववत ही रहेगें।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

विशेष वार्षिक अधिवेशन सत्र समाप्ति पर व तिथि प्रबन्धसमिति द्वारा तथ की जायेगी।

(१) साधारण समा के कर्तव्य :

(1) पाँच वर्ष के लिए प्रबन्धकारिंगी समिति का चुनाव करना।

(2) वार्षिक आय व्यय-वजट का पारित करना।

(3) नियमों व विनियमों में 3/5 के बहुनत में संशोधन कार्यवाही

प्रबन्धकारिणी समिति :

न्यसीय मिन्ना Manager

प्रबन्धकारिणी समिति का गटन साधारण समा द्वारा किया जाएगा। जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/मंत्री, एक कोषाध्यक्ष एक आडीटर तथा शेष 4 सदस्य इस प्रकार कुल 9 व्यक्तियों की प्रबन्धकारिणी समिति होंगी।

सत्य प्रतिनिधि

कुम्से सोसाइटी र तदः चिट्स

विक अधिकार्ष ग्रंथ व्याप देख, हात्म क्षेत्राची

S.B.D. Convent

Caroll Ingel

(व) बैठके :

प्रबन्तकारिणी समिति की सामान्य बैठकें वर्ष में दो व विशेष बैठको को आवश्यकतानुसार कमी भी बुलाया जा सकता है।

(स) सूचना अवधि :

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व में सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति :

सावारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों का कोरम 2/3 होगा स्थगित बैठकों में कोरम प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन एजेन्डा के विषय पूर्ववत रहेगे।

(य) रिक्त रधानों की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति में यदि किसी प्रकार का स्थान रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से शेष कार्य के लिये कर ली जाएगी।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :

(1) संस्था का प्रबन्ध कार्य करना।

(2) वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार कर लागू करना।

(3) वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करना।

- (4) संस्था की समस्त चल व अधल सम्पत्ति पर नियंत्रण रखना।
- (5) उप समितियों के उप नियमों को बनाना य पदाधिकारियों को नियुक्त करना।

(ल) कार्यकाल :

प्रयन्त्रकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा ।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

(अ) अध्यक्ष :

सभी प्रकार की बैढकों की अध्यक्षता करना।

- समान मत होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।
- 🖄 🕽 त्याग पत्रों को स्वीकार करना।
 - 4. बैठकों का अनुमोदन करना।

(व) खपान्यक्ष :

🕆 //अध्यक्ष की अनुपश्चिति में उसके समस्त कार्यों का संबालन करना।

सि) प्रवन्धक / मंत्री :

बैठकों की तिथियों का अनुमोदन करना।

2 बैठको में पान्ति व्योख्या बनाये रखना।

सभी पदाधिकारियो एवं सदस्यों में एकता की भावना जागृत करना।

संस्था के हित के लिए कार्य करना।

- संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करना।
- संस्था की ओर से समस्त बिलों, बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
- उददेश्यों की पूर्ति हेतु ऋण, अनुदान, चन्दा, चल व अचल सम्पत्ति प्रापा करना।

 कर्मचारियों की नियुवित, निलम्बन,वेतन वृद्धि, वेतन वितरण एवं पदच्युत करना।

9. संस्था की वल अवल सम्पत्ति पर नियंत्रण तथा अमिलेखों को सुरक्षित रखना।

10. बिना सचिव/प्रबन्धक की स्वीकृति के कोई भी व्यक्ति संस्था का सदस्य नहीं बन सकता है। सदस्यता हेत् सचिव/प्रबन्धक की अनुमति/स्वीकृति आवश्यक होगी।

(द) कोषाध्यक्ष :


- (1) वार्षिक आय-व्यय का विवरण तैयार करना।
- (2) आय-व्यय सम्बन्धी अभिलेखों को लिपिबद्ध करना।
- (3) सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना!
- (4) आय-याय सम्बन्धी सभी अभिलेखों को सचिव के सामने प्रस्तुत

Manager S.B.D. Convent

Manager

S.B.D. Convent

Remin



- स्टीप किसा - Marin

ה מוא הוצושה אום משימו ועאוב-ועחנו שניוון (य) आडीटर : द्वीरोक र्या संस्था के राज की समाप्ति पर संस्था की आडिट में आडिटर की अञ्चर करने हेतु पूर्वी प्रपन्न खपलब्ध कराना तथा इस कार्य में उसकी सहादेता करना। 11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण समा के 2/3 बहुमत से किया जायेगा। 12 संस्था का कोष: संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैक / मान्यता प्राप्त बैक, डाकपर मे खाता खोलकर जमा होगा जिसका संग्रालन प्रबन्धक/मंत्री के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा तथा विवेश परिस्थितियों में प्रयन्तक/मेजी तथा अध्यक्ष के संयुक्त इस्तावीर द्वारा किया-जायेगा। 13. संस्था लेखा परीक्षण : संस्था के रागसा आव-व्यय को लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सब की रामाणि पर संस्था द्वारा नियुवत विसी योग्य आहिटर द्वारा कराया 14 संस्था के धार्म अध्वासमाक उत्सद अदालती कार्यवाही का चतारदायित्व : भ्यानती कार्यवाही का संवालन संस्था के प्रबन्धक/मंत्री 15. संस्था के अभिक्षेत्र : स्टिश सिर्वाता श्रीजस्टर, े 2 कार्यवाही प्रजिस्टर, क्यों डा रजिस्टर, 4. केशडुक व लिजर व्यिटन और विधटित विवादित सम्पतित के निस्तारण की सीसायटीज राजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा, 13 एवं 14 के अन्तर्गत ही की जायेगी। (सत्व प्रतिलिपि) हस्तझर STATE OF STREET सत्य प्रतिनिपि किस्ट्राद -करते सीमाइटी पत्र । विद्व

दिनोंक

18. विघटन

प्रबन्धक

स्वामी भगवान दास महिला महाविद्यालय तिल्हापुर मोइ, कोटिया, कांशाम्बी

लाही परावासका पहेला व्यक्तितालय विस्तरपुर मोद निर्मिती क्षीतार


CAPETY FOR

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

- 1. Principal/HM. The Principal/HM is responsible to the Manager for the following:-
 - (a) Academic Administration
 - (b) School Administration.
 - (c) Finance.


2. Academic Administration.

- (a) To plan the annual academic schedule in consultation with the subject teachers. He/She is to hold monthly staff meetings to review progress of work, Plan ahead and to assess the progress of the students.
- (b) To supervise, guide and control the work of the Academic Staff of the school.
- (c) To help and guide the teachers in their professional growth and ensure their participation in Academic curricular and co-curricular activities and courses/workshop designed for inservice training.
- (d) To motivate the teachers towards self-improvement and encourage them to undertake educational assignments.
- (e) To check the teacher's diary of all teachers at latest once a month and ensure that it is maintained and updated as required.
- (f) To supervise and observe class room teaching of a teacher at least once in a month and keep a record thereof.
- (g) To supervise and guide the newly inducted teachers and ensure their proper orientation.
- (h) He/She is responsible for framing and implementing the students' and teachers' time table He/She is to form a committee of teachers for the purpose.
- (i) To maintain a register of assessment of all students, class-wise and subject-wise, together with a description of the measures taken to remedy the weaknesses disclosed Also to the maintain this record as an Excel Worksheet in the computer in the Principle/HMS room for each student from the time he joins till he leaves the school.
- (j) To ensure that adequate measures are adopted by teacher for teaching the exceptional children, children with learning difficulties and children with attention disorders.
- (k) To orient the teachers towards Continuous and Comprehensive Evaluation system.
- (I) To organise various co-curricular and extra-curricular activities through the house system.
- (m) To plan yearly educational excursions/field trip schedule in consultation with the teachers to ensure proper conduct of all educational excursions including prior clearance from the manager to issue detailed written security guidelines to staff escorting such trips.
- (n) To develop the school library in terms of reading material and reading environment in case of secondary/Sr Secondary School. To ensure implementation of the Library Management software, availability of NDA corner and latest books and periodicals on career guidance.
- (o) To take at least 11 periods per week and maintain interaction with students.
- (p) To maintain liaison with the nearest CBSE office.



3. School Administration

- (a) Two formulate and submit to the manager proposal for hiring teaching and admin staff and MTS. provision of furniture, laboratory equipment and teaching aids. well before the Commencement of the Academic session.
- (b) Proper maintenance of school Records, Service book of Academic and administrative staff, return and statistics as prescribed by the society and CBSE from time of time.
- (c) To handle all School correspondence and the ensure timely furnishing of all returns and information required by the society and CBSE.
- (d) To ensure provision of amenities like filtered drinking water, adequate number of separate washrooms for boys, girls and staff and school cafeteria. He/She is to make certain that these amenities are brought up to the desired standard and all sanitary measures are taken to ensure health and hygiene in the school.
- (e) To ensure provision of adequate and suitable furniture for classrooms labs, staff rooms and offices.
- (f) To ensure provision of adequate play in equipment suitable to the category of the school. To ensure that the play equipment is regularly serviced and well- maintained. in case of Pre- primary and primary classes, moulded furniture in contemporary design is to be Procurd.
- (g) To ensure the formation of parent- Teacher Association (PTA) and to organise and conduct such PTA meetings.
- (h) To ensure conduct of annual medical examination of all students and maintenance and updating to health cards.
- To liaise with the local units and civil authorities to ensure support for effective functioning of school.
- (j) To ensure setting up of a School website. To ensure that the teachers are well-conversant with the nuances of the internet. He/She is to detail the computer teacher/ any other suitable teacher as responsible for maintenance and updating of the School website.
- (k) To forward leave applications of academic and administrative staff with his/ her recommendations to the manager for approval
- (I) To formulate and implement a viable Disaster management plan in respect of the school. This should include a fire-fighting plan with earmarked escape routes, fire sirens and fully serviceable protable fire-fighting equipment. To ensure that fire evacuation drill is conducted at least once in six months for all classes and staff.
- (m) To ensure availability of First aid boxes in the school. He/She is to make certain that there are no time- expired medicine in the first aid boxes.
- (n) To administer the school on sound administrative lines, create a conducive teachinglearning environment and to develop a healthy teacher- student relationship
- To detail teachers on rotation basis as duty teacher to be available for opening and closing of school (at least thirty minutes prior and one hour after school working hours)
- (p) To detail teacher on rotation basis for supervising children of pre-primary and primary classes while boarding and de-boarding school buses. To ensure that only ayahs or lady teachers help the young girls students to board/de-board from school buses/vans etc and that male attendants/ bus conductors do not physically touch any of the girls student
- (q) Any other duty to assigned by the chairman/manager.



4. Finance

- (a) To formulate the Annual Development Plan by 31 March of the previous Academic session in consultation with the manager and implement it after approval by School Managements Committee
- (b) To provide all assistance in the Annual property Board of the school.

Wanager Wanager